

**ग्राम पंचायत खिलड़ा, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मंडी के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17**

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खिलड़ा, विकास खण्ड सुंदरनगर, जिला मंडी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति लता देवी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति जया कुमारी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री श्याम लाल	01.04.14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत खिलड़ा, विकास खण्ड सुंदरनगर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खातों के शेष में भारी अन्तर	1.89
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.20
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	23.02
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.06
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	1.09

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत खिलड़ा, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार,

अनुभाग अधिकारी तथा श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15.02.18 से 19.02.18 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	06/2014
2015-16	03/2016	11/2015
2016-17	03/2017	12/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत खिलड़ा, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि.प्र.) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 02 दिनांक 19.02.18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत खिलड़ा से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत खिलड़ा, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत खिलड़ा, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	393951.48	54804	448755.48	33468	415287.48
2015-16	415287.48	89511	504798.48	44466	460332.48
2016-17	460332.48	115959	576291.48	50495	525796.48

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत खिलड़ा, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	903241.52	2422839	3326080.52	2651255.33	674825.19
2015-16	674825.19	2257502	2932327.19	1365926	1566401.19
2016-17	1566401.19	2805360.92	4371762.11	2069193	2302569.11

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्रोत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अंतिम शेष : ₹525796.48

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अंतिम शेष : ₹2302569.11

स्व स्रोत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष :	₹2828365.97
जमा: - बैंक में जमा अनुदान जिनकी रोकड़ बही में :	₹603038.00
प्रविष्टि नहीं की गई (परिशिष्ट -2) जिसकी अब रोकड़ बही में प्रविष्टि की जाए	
रोकड़ बहियोंका वास्तविक शेष :	₹3431403.59
दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष :	₹3620185.92
(संलग्न परिशिष्ट-3)-	
अन्तर की राशि :	₹188782

बैंक खाता संख्या	राशि
34210102475	1171044
34210102473	775457
34210102474	1634780.92
34210102477	38904
कुल योग	₹3620185.92

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹1.89 लाख का भारी अन्तर:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है जबकि पंचायत की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ वही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹188782 (विस्तृत विवरण पैरा 4) का अन्तर पाया गया जिसका मिलान करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना सं 01 दिनांक 17.02.18 द्वारा सचिव को निर्देश दिया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया, जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा कृत कारवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.20 लाख की वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर के रूप में दिनांक 31.3.17 को निम्न विवरणानुसार ₹19850 वसूली हेतु शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें।

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	3030	9270	12300	5960	6340
2015-16	6340	19540	25880	25840	40
2016-17	40	19540	19580	-	19580

6 अनुदान ₹23.02 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2302569.11 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित भी होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.06 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-5 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹106075 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 ₹1.09 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत द्वारा भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय सामग्री की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-6 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹109636 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 ₹2.34 लाख की सोलर लाइट्स के क्रय में पाई गई अनियमितताएँ:-

पंचायत द्वारा निम्न विवरण के अनुसार मेसर्स जग ट्रेडिंग कंपनी, सुंदर नगर से 13 सोलर स्ट्रीट लाइट का क्रय न्यूनतम भाव दरों के आधार पर किया गया।

क्रम सं.	वाउचर सं./माह	विवरण	दर	बिल सं./दिनांक	राशि
1.	81 माह 12/16	11 सोलर स्ट्रीट लाइट (9 WATT)	17500/- per set	72 dt.12.12.16	192500
2.	122 तथा 123 माह 12/16	02 सोलर स्ट्रीट लाइट (12 WATT)	21000/- per set	121 dt. -	42000

कुल योग	234500
---------	--------

इस क्रय में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

- (1) सरकार द्वारा सोलर लाइट्स, सप्लाई करने के लिए अधिकृत संस्था हिम उर्जा से क्रय नहीं की गयी जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये।
- (2) भाव दरें आमंत्रित करने हेतु को दैनिक समाचार पत्रों दिव्य हिमाचल तथा दैनिक जागरण में विज्ञापन दिया गया, जबकि HPFR-2009 के नियम 102 (1) के अनुसार सरकारी राजपत्र/ गिरिराज (साप्ताहिक) में भी इसे विज्ञापित किया जाना अपेक्षित था।
- (3) तकनीकी तथा जटिल (complex) क्रय होने के कारण नियम 102 (5) (a) के अनुसार फर्मों से technical bids प्राप्त नहीं किए गये।
- (4) नियम 106 के अंतर्गत क्रय की मात्रा/ राशी का 2 से 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (earnest money) प्राप्त नहीं की गई।

उपरोक्त अनियमितताओं बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस क्रय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

10 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/ अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/ अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना।
6. वही खाते तैयार न करना।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

- 12 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I
- 13 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(xi) 57 / 2018 खण्ड-1-4432-4435 दिनांक 19.06.2018
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत खिलड़ा, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881